4.6 लाख करोड़ कर्ज चुकाना है महाराष्ट्र सरकार को 2029 तक। इस पर 35207 करोड़ रुपये का भुगतान ब्याज के रूप में करना होगा।

पायलट बोले-मेरी जफर इस्लाम से नहीं हुई मुलाकात

जासं, जयपुर : राजस्थान के उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने खुद की भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम से मुलाकात की चर्चाओं को केवल अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है। राजनीतिक गलियारों में दो दिनों से ऐसी चर्चाएं थीं।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के सूत्रधारों में जफर इस्लाम का नाम भी आया था। बताया जाता है कि जफर इस्लाम ने ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पहली बात मुलाकात कराई थी। इसके बाद उन्होंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिंधिया की मुलाकात तय की थी। ज्योतिरादित्य जब शाह के साथ पीएम से मिलने गए थे तो जफर इस्लाम उनके साथ थे। ऐसे में पायलट से उनकी मुलाकात के कई राजनीतिक मायने हो सकते हैं। पिछले दो दिन से पायलट और इस्लाम की मुलाकात को लेकर चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही है। पायलट ने शनिवार को इन्हें गलत बताया है।

सार्क के कोरोना इमरजेंसी फंड में बढ़ा योगदान

मालदीव, भूटान, नेपाल से लेकर अफगानिस्तान तक ने 23 लाख डॉलर की रकम जोड़ी

नई दिल्ली, एजेंसियां : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोविड-19 राहत आपदा कोष में सार्क देशों के योगदान की मुहिम रंग लाने लगी है। उन्होंने पिछले दिनों सार्क देशों की बैठक के दौरान इस इमरजेंसी फंड की जरूरत बताते हुए इसके लिए एक करोड़ डॉलर देने का एलान किया था। तब से अब तक मालदीव, भूटान, नेपाल से लेकर अफगानिस्तान ने यथाशक्ति फंड दिया है। इसतरह भारत की दी धनराशि के अलावा इस फंड में और 23 लाख डॉलर की रकम जुड़ गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके मालदीव, भूटान और नेपाल को धन्यवाद भी दिया है।

शनिवार को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के सादिक सिद्दीकी के प्रवक्ता ने बताया कि वह कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देना चाहते हैं। इस संयुक्त साझेदारी से वैश्विक महामारी को मात देने के लिए सार्क देशों के फंड में अफगान सरकार ने दस लाख डॉलर देने की मंजूरी दी है। इससे पहले, पीएम मोदी के फैसले का स्वागत करते हुए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि कोरोना के खिलाफ युद्ध छेड़ने को सार्क देशों के कोविड-19 राहत आपदा कोष में मालदीव दो लाख डॉलर देगा। इसीतरह शुक्रवार को ही सार्क देशों के कोरोना इमरजेंसी फंड में नेपाल ने दस लाख डॉलर (नेपाली रुपये में दस करोड़ रुपये) और भूटान सरकार ने एक लाख डॉलर देने की स्वीकृति दी है।

अमेरिकी रक्षा मंत्री कोरोना फंड के कायल

अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बातचीत के दौरान कहा कि सार्क देशों को कोविड-19 इमरजेंसी फंड की प्रशंसा की। दोनों नेताओं ने इस महामारी पर चर्चा करते हुए इस अवधि में लगातार नजदीकी संपर्क बनाए रखने पर प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा प्रतिबद्धताओं पर भी चर्चा की।

मार्क एस्पर।

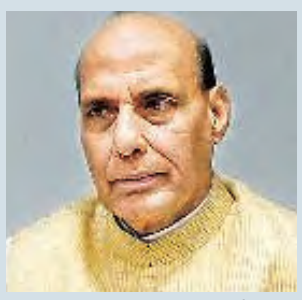

राजनाथ सिंह। सभी फाइल

मालदीव, भूटान और नेपाल को धन्यवाद दिया

इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों के नेताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह देखकर अच्छा लग रहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ साझा लड़ाई में यह सार्क देशों के सभी नेताओं पहल कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वह भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और मालदीव सरकार के आर्थिक सहयोग की सराहना करते हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ विभिन्न संगठनों और उद्योग जगत के प्रयासों की भी सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया।

मनी लांड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री एक्का दोषी करार

राज्य ब्यूरो, रांची

ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने शनिवार को 20 करोड़ 31 लाख रुपये की मनी लांड्रिंग के मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदुओं पर सुनवाई 31 मार्च को होगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल भुगत रहे एक्का की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की गई थी।

वर्ष 2009 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एनोस के खिलाफ के केस दर्ज किया था। एजेंसी ने 56 गवाह पेश किए, जबकि एनोस ने अपने बचाव में 71 लोगों की गवाही कराई। सुनवाई के दौरान ईडी ने एनोस द्वारा खरीदी गई संपत्ति से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ 116 सेल डीड अदालत में पेश की थी। इस मामले में ईडी एनोस एक्का व उनके परिजनों से जुड़े करोड़ों की संपत्ति जब्त कर चुकी है। इसमें रांची, बंगाल, दिल्ली की जमीन, फ्लैट आदि शामिल हैं।

आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता

आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा काट रहे एनोस की वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेशी

एनोस एक्का। फाइल

हैं एनोस : झारखंड की मधु कोड़ा सरकार में 10 मार्च 2005 से 31 मार्च 2009 तक मंत्री रहे एनोस एक्का आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता हैं। 25 फरवरी को सीबीआइ की विशेष अदालत ने उन्हें सात साल की सजा सुनाई है। इस केस में एनोस के अलावा उनकी पत्नी मेनन एक्का सहित परिवार के पांच सदस्यों को भी सजा हुई है। फिलहाल वह रांची की होटवार जेल में बंद हैं।

मप्र में सरकार बनाने की कवायद शुरू

तैयारी ▸ भाजपा विधायक दल की बैठक कल, नवरात्र पर 25 को हो सकती है सीएम की शपथ

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व मप्र के प्रभारी डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे पर्यवेक्षक बनाए

राज्य ब्यूरो, भोपाल

मध्य प्रदेश में भाजपा ने नई सरकार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इसमें नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के इस्तीफे के बाद नए नेता यानी मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व ने विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

संभावना है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक हाईकमान द्वारा तय नेता के नाम पर विधायक दल की बैठक में मुहर लगवाएंगे। इसके बाद विधायक दल के नेता राज्यपाल लालजी टंडन के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। गौरतलब है कि पहले ये बैठक शनिवार को बुलाई गई थी। माना जा रहा है कि देश में कोरोना के बढ़ते असर और रविवार को 'जनता कर्फ्यू' के कारण विधायक दल की बैठक टाल दी गई। पार्टी की रणनीति के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो 25 मार्च को नई सरकार का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। इसी दिन नवरात्र पूजा की शुरुआत भी हो रही है।

सीएम के लिए शिवराज टॉप पर : मप्र में भाजपा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर जोर-आजमाइश का खेल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पद के लिए स्वाभाविक तौर पर सबसे आगे शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा है। पार्टी नेताओं की मानें तो शिवराज ही मप्र में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा की नैया पार लगा सकते हैं। यही वजह है कि अभी वह सीएम की दौड़ में सबसे आगे हैं। यह भी माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन चौहान के साथ ही रहेगा। हालांकि, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी पार्टी में तैर रहा है।

नई दिल्ली में शनिवार को मध्य प्रदेश के कांग्रेस के बागी पूर्व विधायकों ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। एएनआइ

कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साधा निशाना

बागी पूर्व विधायकों के भाजपा में प्रवेश पर मप्र कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने सिंधिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सिंधिया ने बागी पूर्व विधायकों को 18 सालों में भी कांग्रेसी नहीं बनने दिया। वे सिंधिया समर्थक बनकर ही रह गए। देखना होगा कि वे सिंधिया समर्थक ही रहेंगे या भाजपाई बन पाएंगे।

तोमर ने कहा-भाजपा के परिवार का विस्तार

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय पंचायत राज एवं कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मप्र में भाजपा के परिवार का विस्तार हो रहा है। मप्र में 15 दिन पहले से लंबा सियासी घटनाक्रम चला, जिस कारण ऊहापोह की स्थिति बनी थी। यह सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम के साक्षी बनने और मार्गदर्शन देने के लिए पार्टी अध्यक्ष नड्डा भी मौजूद हैं। तोमर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन, कैलाश विजयवर्गीय, सांसद राकेश सिंह और विधायक अरविंद भदौरिया ने अपनी भूमिका का बेहतर ढंग से निर्वहन किया है।

'अपराध करने से पहले खरीदी या हासिल संपत्ति को नहीं किया जा सकता कुर्क'

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 एक्ट के तहत किसी भी ऐसी संपत्ति को कुर्क नहीं किया जा सकता जिसे अपराध करने से पहले खरीदा या हासिल किया गया हो। हाई कोर्ट के जस्टिस जसवंत सिंह पर आधारित बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

हाई कोर्ट में दायर अपील में कहा गया है कि यह अपील पीएमएलए की धारा 42 के तहत दायर की गई है और इसमें अपीलीय अधिकरण के फैसले को निरस्त करने की मांग की गई है जिसमें संपत्ति की अस्थायी कुर्की का आदेश है। याची जलधारा एक्सपोर्ट्स के खिलाफ वैट रिफंड में फरवरी-मार्च 2013 के दौरान धोखाधड़ी के आरोप में आइपीसी की धारा 177, 420, 465, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया।

प्रवर्तन निदेशालय ने एनफोर्समेंट केस इन्फर्मेशन रिपोर्ट (ईसीआइआर) दर्ज किया। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने याची की एंपायर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के एक फ्लैट को 90 दिनों के लिए कुर्क कर दिया। अपीलकर्ताओं ने इस मामले में कहा कि कुर्क की गई संपत्ति न केवल कथित अपराध बल्कि पीएमएलए के अस्तित्व में आने से काफ़ी पहले खरीदी गई और संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने से पहले इसका कारण बताने के नियम का पालन नहीं किया गया। कहा गया कि संपत्ति 1991 में खरीदी गई और अपील नंबर दो में शामिल संपत्ति 2012 में खरीदी गई जबकि कथित अपराध फरवरी-मार्च 2013 में हुआ। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अपराध से आए धन से ये संपत्तियां खरीदी गईं। अदालत ने कहा कि पीएमएलए की धारा 24 के अनुसार, इस संपत्ति का धन शोधन से संबंध नहीं है। अदालत ने कहा कि अथॉरिटीज को अनिर्देशित और बेलगाम अधिकार मिल जाएगा और वह किसी को भी फंसा सकता है भले ही उसका इस अपराध और इससे मिले धन से कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष लेना-देना हो या नहीं हो, बल्कि उस व्यक्ति की अन्य संपत्तियों से उसका वास्ता है (जिसका इस अपराध से लेना-देना नहीं है) जिसने अपराध से धन जमा की है।

'यह संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 का उल्लंघन होगा'। अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में यह स्वीकार किया गया है कि संपत्ति को 1991 में खरीदा गया और 2009 में इसे एक बैंक के पास गिरवी रख दिया गया। इसमें कहा गया कि कथित अपराध 2013 में हुआ जबकि कुर्की का आदेश दिसंबर 2017 में दिया गया। आपराधिक गतिविधि या पीएमएलए के पहले अर्जित संपत्ति को कुर्क नहीं किया जा सकता जबकि अपराध से मिले धन से खरीदी गई संपत्ति देश के बाहर है।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत अहम है कोर्ट का फैसला

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का प्रवेश द्वार। फाइल

सांसद आजम खां मामले में शासकीय अधिवक्ताओं पर भी कार्रवाई की तैयारी

सांसद से जुड़े मामलों की पैरवी में ढिलाई का मामला

डीएम ने कहा, शासन को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा

मुस्लेमीन, रामपुर : सांसद आजम खां के मुकदमों की पैरवी में लापरवाही बरतने पर पुलिस अधीक्षक सहित कई थाना प्रभारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। अब इस मामले में पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ताओं पर कार्रवाई की तैयारी है। रामपुर जिला प्रशासन इनकी रिपोर्ट शासन को भेजने की तैयारी कर रहा है।

आजम खां के खिलाफ अब तक 87 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी शहर विधायक डॉक्टर तजीन फात्मा पर तीन और बेटे अब्दुल्ला आजम पर 10 केस दर्ज हैं। इन तीनों ने 26 फरवरी को अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में अदालत में आत्मसमर्पण किया था। तब से ही तीनों जेल में हैं। 27 फरवरी को आचार संहिता से जुड़े आठ मामलों में आजम खां की जमानत अर्जी मंजूर हो गई थी। इस मामले में पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा। अदालत ने पुलिस से तीनों ही मामलों में आख्या मांगी थी लेकिन, पुलिस ने आख्या नहीं दी। इस मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम औतार सिंह सैनी ने जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा था। इसके बाद आजम खां की अदालत में पेशी हुई तो तमाम सपा नेता उनसे मुलाकात के लिए कचहरी पहुंच गए। शासन ने एक मार्च को पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा को रामपुर से हटा दिया। इसके बाद शहर कोतवाल सहित चार थाना प्रभारियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। जिला अधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि शासकीय अधिवक्ता इस मामले में ठीक से पैरवी नहीं कर सके हैं। ऐसे शासकीय अधिवक्ताओं के खिलाफ शासन को लिखा जाएगा। बेहतर पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट के अपर महाधिवक्ता विनोद दिवाकर को भी लगाया गया है।

आजम खां के खिलाफ दर्ज मुकदमों में जमानत अर्जी पर शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित सक्सेना ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते हाई कोर्ट ने प्रदेश की सभी जिला अदालतों को 28 मार्च तक बंद रखने के आदेश दिए हैं।

सरकार जाते ही दिग्विजय का विरोध तेज

रवींद्र कैलासिया, भोपाल

राज्यसभा चुनाव में बरैया को प्राथमिकता में रखने की मांग

कांग्रेस के दिग्गजों ने फूलसिंह के पक्ष में हाईकमान को लिखा पत्र

मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाते ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। विधानसभा की रिक्त हुईं 24 सीटों पर उपचुनाव होना हैं। इनमें अजा-जजा वोट बैंक का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं ने राज्यसभा उम्मीदवार फूलसिंह बरैया के पक्ष में हाईकमान को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने मप्र के राज्यसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी फूलसिंह बरैया को प्राथमिकता क्रम में पहले नंबर पर रखकर उन्हें राज्यसभा में भेजने की मांग की है। पत्र में नेताओं ने दलील दी है कि बरैया के राज्यसभा में जाने से कांग्रेस को उपचुनाव में अजा-जजा वोट बैंक का लाभ मिलेगा।

गौरतलब है कि 26 मार्च को मप्र की तीन राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह और फूलसिंह बरैया प्रत्याशी हैं। नए सियासी समीकरण के कारण कांग्रेस अब सिर्फ एक सीट जीतने की स्थिति में है। ऐसे में पार्टी हाईकमान से पहले और दूसरे क्रम के उम्मीदवार तय करने की मांग की गई है। हाईकमान को लिखे पत्र में बरैया को राज्यसभा में भेजने से उपचुनाव में पार्टी को होने वाले फायदे गिनाए गए हैं। बरैया की ग्वालियर-चंबल संभाग में अजा-जजा वोट बैंक पर पकड़ बताते हुए नेताओं ने आगामी विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद जताई है।

मुकेश नायक बोले-दिग्विजय ने कमल नाथ को धोखे में रखा : दूसरी तरफ कमल नाथ सरकार के गिरने में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की भूमिका को लेकर भी कांग्रेस नेताओं के विरोध के स्वर उठ रहे हैं। दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे मुकेश नायक ने तो खुलकर कहा है कि दिग्विजय सिंह ने अपने परिवारजन-रिश्तेदारों के लिए मध्य प्रदेश ही नहीं, गुजरात-उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमावट कर ली है और खुद के लिए भी राज्यसभा सीट पर रास्ता आसान कर लिया है। मध्य प्रदेश में बेटे जयवर्धन सिंह, भाई लक्ष्मण सिंह और निकट रिश्तेदार प्रियव्रत सिंह तो गुजरात-उत्तर प्रदेश में अपने रिश्तेदारों को एमएलए बना लिया है। नायक ने कहा कि कमल नाथ ने दिग्विजय को संकट मोचक समझा और उन्होंने ही धोखा दिया। दो घंटे पहले तक शक्ति परीक्षण में जीतने की बातें कहते रहे और फिर अचानक अल्प मत में होने का बोलकर सरकार गिरवा दी।

सिंघार ने फिर बनाई दिग्विजय से दूरी: सरकार बनने के बाद दिग्विजय सिंह के कमल नाथ सरकार के मंत्रियों को सीधे चिट्ठी लिखे जाने पर वन मंत्री उमंग सिंघार से विवाद पर बवाल मचा था। तब हाईकमान ने दोनों पक्षों को शांत करने के लिए कमेटी बना दी, लेकिन अब फिर दोनों नेताओं के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं।

कमल नाथ समर्थक भी दिग्विजय के खिलाफ होंगे : सूत्र बताते हैं कि कमल नाथ सरकार के कुछ मंत्रियों के दिग्विजय सिंह के खिलाफ खड़े होने की संभावना है। ये मंत्री सरकार में दिग्विजय सिंह के हस्तक्षेप को लेकर नाखुश तो थे, लेकिन अपने नेता की वजह से खुलकर कुछ नहीं बोलते थे। इनमें सज्जन सिंह वर्मा का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है, जो दिग्विजय सिंह के सरकार में हस्तक्षेप को लेकर समय-समय पर तंज करते रहे हैं। उनके अलावा महाकोशल के दो कार्यवाहक मंत्री भी दिग्विजय को कांग्रेस की मौजूदा स्थिति का जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन वे अभी मौके का इंतजार कर रहे हैं। दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह भी अपने भाई के सरकार में दखल को लेकर खुलकर बयान देते रहे हैं।

यस बैंक मामले में ईडी के सामने पेश हुए सुभाष चंद्रा

मुंबई, प्रेट्र : यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर और उनके परिवार के खिलाफ मनी लांड्रिंग की जांच के सिलसिले में एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए। एक अन्य मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल से भी ईडी ने पूछताछ की।

अधिकारियों ने बताया कि सुभाष चंद्रा सुबह 11 बजे बल्लार्ड इस्टेट स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत उनका बयान भी दर्ज किया जाएगा। एस्सेल ग्रुप पर यस बैंक का करीब 8,400 करोड़ रुपये का कर्ज है। सुभाष चंद्रा राज्यसभा के सदस्य भी हैं। उन्हें 18 मार्च को समन किया गया था, लेकिन संसद सत्र में व्यस्तता का हवाला देते हुए वह उस दिन पेश नहीं हुए थे। इसके बाद ईडी ने उन्हें नया समन जारी करके शनिवार को तलब किया था। मुंबई स्थित एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी के साथ कथित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग के एक अलग मामले में ईडी ने शनिवार को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल से भी पूछताछ की। हालांकि अधिकारियों का पहले कहना था कि उनसे यस बैंक मामले में पूछताछ की गई, लेकिन बाद में स्पष्ट किया गया कि वह अन्य मामले की जांच के सिलसिले में पेश हुए थे। ईडी ने नरेश गोयल को यस बैंक मामले में भी समन किया है, लेकिन इस मामले में उनकी पेशी होनी अभी बाकी है। जेट एयरवेज पर यस बैंक का 550 करोड़ रुपये का कर्ज है।

मुंबई में शनिवार को एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा यस बैंक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। प्रेट्र

नरेश गोयल को जांच एजेंसी ने 18 मार्च को समन किया था, लेकिन एक संबंधी की तबीयत खराब होने की वजह से वह उस दिन पेश नहीं हो सके थे। अधिकारियों ने बताया कि यस बैंक मामले में भी उनके जल्द पेश होने की उम्मीद है।

बड़ा सवाल

पुराने प्रतिद्वंद्वी रहे भाजपाई राह में बिछा रहे कांटे, नफा-नुकसान की कसौटी पर होंगे सिंधिया समर्थक

कांग्रेस से बागी हुए माननीयों का सियासी कॅरियर दांव पर

आनन्द राय, भोपाल

मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले छह पूर्व मंत्रियों समेत 22 विधायकों के चलते कमल नाथ की सरकार तो पलट गई, लेकिन अब खुद इनके सियासी भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति वफादारी दिखाने वाले इन माननीयों की राह में कांग्रेसियों के अलावा पहले के प्रतिद्वंद्वी रहे भाजपाई भी कांटे बिछाने में सक्रिय हो गए हैं। इससे इनका सियासी कॅरियर भी दांव पर लग गया है।

भाजपा ने कमल नाथ की सरकार गिराने के पुरस्कार स्वरूप ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर यह संकेत दे दिया है कि भविष्य में उन्हें मोदी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन नफा-नुकसान की कसौटी पर अब उनके समर्थक ही होंगे। सिंधिया को भी इसका अहसास है। इसीलिए बेंगलुरु में लंबे प्रवास के बाद अपने समर्थक पूर्व विधायकों को भोपाल लाने से पहले उन्होंने दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के हाथों भगवा पट्टा पहनाकर भाजपा में शामिल करा दिया पर निकट भविष्य में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती वाला फार्मूला लागू होने के आसार दिखने लगे हैं। पिछले चुनाव में इनसे हारे हुए भाजपा के उम्मीदवार विरोधियों के साथ मिलकर नया गुल खिला सकते हैं। बानगी के तौर पर ग्वालियर में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया को कमल नाथ सरकार में मंत्री रहे प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विधानसथा चुनाव में हरा दिया था। राम मंदिर आंदोलन में यहां के प्रमुख चेहरा रहे पवैया को सिंधिया का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है। अपने भविष्य के लिए वह कोई खेल कर सकते हैं।

पवैया के अलावा कई और दिग्गज बनेंगे मुसीबत : भविष्य में होने वाले उपचुनाव में टिकट हासिल करने से लेकर जीतने तक की चुनौती रहेगी। ऐसे में सिर्फ पवैया ही नहीं, बल्कि भाजपा के कई दिग्गज अपने-अपने हित में समीकरण साधेंगे। मुरैना सीट पर कांग्रेस के टिकट पर रघुराज सिंह कंषाना ने भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री और सेवानिवृत्त आइपीएस अफसर रुस्तम सिंह को चुनाव में हरा दिया था। इसी तरह हाटपीपल्या सीट पर भाजपा के दीपक जोशी को कांग्रेस के मनोज चौधरी और सुरखी सीट पर भाजपा के ही सुधीर यादव को गोविंद सिंह राजपूत ने चुनाव हराया था।

दीपक जोशी पूर्व मुख्यमंत्री स्व. कैलाश जोशी के पुत्र हैं, जबकि सुधीर यादव के पिता लक्ष्मीनारायण यादव सागर के सांसद रहे हैं। पाटीदार समाज के बड़े नेता राधेश्याम को सुवासरा में हरदीप सिंह डंग और आदिवासी समाज के रामलाल रौतेल को पांच बार विधायक रहे बिसाहूलाल सिंह ने हरा दिया था। ऐसी ही स्थिति करीब-करीब सभी क्षेत्रों में है। भाजपा विधानसभा चुनाव हारने वाले अपने इन बुनियादी कार्यकर्ताओं को कितना किनारे लगाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है।

मंत्री पद गंवाने वाले बागियों की शपथ पर कयास : कमल नाथ सरकार में मंत्री रह चुके सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसौदिया, प्रभुराम चौधरी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसीराम सिलावट और इमरती देवी के नई सरकार में शपथ को लेकर तरह-तरह के कयास लग रहे हैं। ये लोग अब सदन के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में शपथ दिलाकर उन्हें उपचुनाव में भी उतारा जा सकता है पर अंदरखाने विरोध से बचने के लिए भाजपा कोई दूसरा कदम भी उठा सकती है।

विजयवर्गीय बोले-भाजपा पूरा करेगी संकल्प : मध्य प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय का कहना है कि कहीं कोई समस्या नहीं है। पार्टी ने विधायकों से जो संकल्प किया है, उसे वह पूरा करेगी। भाजपा में तो सभी कार्यकर्ता हैं और टिकट को लेकर कहीं विरोध नहीं होगा। यह सब कांग्रेस की ओर से फैलाई जा रही अफवाह है। अब जब सरकार कांग्रेस के हाथों से निकल गई तो उसे इस तरह की अफवाह नहीं फैलानी चाहिए।

कह के रहेंगे माधव जोशी